1.	विभाग	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
2.	योजना का नाम	खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना।
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी	खलिहान में रखी गयी फसल अथवा किसान की खडी फसल आग, बिजली अथवा आकाशीय बिजली से यदि जलकर नष्ट हो जाती है तो उसे मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से जोत सीमा के आधार पर सहायता राशि दी जाती है।
4.	पात्रता की अर्हता	अग्नि दुर्घटना से पीड़ित कोई भी किसान।
5	आवेदन की प्रक्रिया	दुर्घटना से पीडित किसान, घटना के 15 दिन के अन्दर मण्डी समिति के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त होने वाले साधारण से प्रार्थना–पत्र को भरकर संबंधित मण्डी समिति के कार्यालय में जमा करेगा। दावे के निपटाने के उपरान्त धनराशि पीड़ित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को चेक के माध्यम से दी जायेगी।
6.	लिंक वेबसाईट	http://upmandiparishad.upsdc.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक मण्डी परिषद से सम्पर्क किया जा सकता है।